Delhi Act to prevent property tax evasion effectively based on the study report of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances;

(b) if so what are the steps taken and being taken in this regard; and

(c) what were the recommendations contained in this study report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) to (c) The Study Report of the Department of Administrative Reforms was received by the Municipal Corporation of Delhi in December, 1985. No decision has yet been taken by them. The Study Report, *inter-alia* suggested payment of House Tax on self-assessment basis, deletion of proviso to Section 126 (1) of the Delhi Municipal Corporation Act, change in procedure for determining rateable value, etc.

Construction of cities for the ex-servicemen

967. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to construct cities for ex-servicemen in border areas of the country for developmental purposes;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the names of the places where such cities are likely to be constructed and in what manner their priority is likely to be decided?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) to (c) There s no proposal as such under Government's consideration for construction of cities for ex-servicemen in border areas of the country for developmental purposes. However, among the measures being undertaken to bring about development of border areas under the Border Areas Development Programme, it has been suggested to the State Governments concerned to take up schemes for resettlement of ex-servicemen wherever land is available in the border areas. The Border Areas Development Programme is being undertaken in the western border States of Gujarat, Rajasthan and Punjab.

Development of irrigation projects in Marathwada region

968. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the news item oppearing in the 'Times of India' dated the 17th September, 1986 which emphasising urgent development of irrigation facilities for the Marathwada region of Maharashtra for the development of agriculture; and

(b) if so, what are the central projects envisaged for this chronically backward and drought affected areas under the Seventh Plan period economic development?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir. Presumably the Hon'ble M.P. is referring to the news item appearing in the TIMES OF INDIA of 17th September, 1986 entitled "Bringing water to their lands".

(b) Irrigation is a State subject, and irrigation projects are entirely funded from the State Plan. Hence, there are no Central projects to finAnce such schemes.

सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के लिये रोजगार योजनाएं

969. **श्री नरेश सी० पुगलिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हर साल लगभग 50 से 55 हजार ऐसे सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं जिनमें से कुछ अपना

व्यापार आरम्भ करते हैं और कुछ का गैर-सरकारी कम्पनियों में नियुक्ति हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो शेष सैनिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या योजना तैयार की है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) रक्षा सेवाओं से प्रतिवर्ष पचास से पचपन हजार सैनिक सेवा-निवृत्त या सेवामुक्त होते हैं। सरकार को इस बात का कोई जानकारी नहीं है कि इनमें से कितने अपना निजी रोजगार आरम्भ करते हैं या निजी कम्पनियों में अपने रोजगार प्राप्त करते हैं। फिर भी सिविल क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए किए गए कुछ उपायों के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपाय

भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार के विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए आरक्षण की नीति अपना रही है और सभी राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार की नीति अपनाने का अनुरोध किया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के बारे में सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों एवं केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि में सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गया है। सभी राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

1 अगस्त, 1985 से रोजगार कार्यालय आरक्षित एवं अनारक्षित पदों पर भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिकों को भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए राज्य/जिला सैनिक बोर्डों द्वारा भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है।

जहां तक संभव होता है कई सेवा ट्रेडों को सिविल अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हताओं के समान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भूतपूर्व सैनिक फिर से रोजगार प्राप्त करने के मामले में सिविलियन अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित योग्यता के मानदण्डों को पूरा कर सकें। जिन पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को लगाया जा सकता है उन पदों का भी पता लगाया जा रहा है।

पैरा-मिलिटरी संगठनों एवं रक्षा सुरक्षा कोर में भूतपूर्व सैनिकों की भरती में वृद्धि करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि अन्य बातों के अलावा वैतनिक रोजगार के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं को प्रभावी ढंग से पास कर सकें। कुछ चुने हुए जिलों में स्वः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है।

राज्य सरकारों से, जहां उचित हो, वहां शान्ति बनाए रखने के लिए विशेष शांति बलों का गठन करने और ऐसे बलों में भूतपूर्व सैनिकों को बड़ा संख्या में भर्ती करने का अनुरोध किया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों को अपना लाभप्रद रोजगार शुरू करने के लिए उन्हें सहायता दी जाती है। इसके लिए उन्हें वाणिज्यिक बूथों का अग्रता के आधार पर एलाटमेंट करने, विभिन्न व्यवसायों में एजेन्सियां देने, परिवहन सेवा आदि के लिए उनके नाम संबंधित मंत्रालयों/सरकारों के पास भेजे जाते हैं।

ऐसी मदों का पता लगाया जा रहा है जिन्हें भूतपूर्व सैनिकों द्वारा स्थापित

की जाने वाली लघु यूनिटों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सप्लाई किया जा सके।

ब्याज में राहत :–राज्य/जिला सैनिक बोर्डों द्वारा अपनी कल्याण निधियों (संयोजित राज्य विशेष निधि) के अन्तर्गत लघु उद्योग/कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को 50,000 रुपए तक लिए गए बैंक ऋणों पर ब्याज में राहत दी जाती है। उन भूतपूर्व सैनिक अफसरों पर भी यह योजना लागू होती है जिनकी मासिक आय 1500/– रुपए से अधिक न हो।

भूतपूर्व सैनिक यूनिटों को राहत :– इस योजना के अन्तर्गत किसी भूतपूर्व सैनिक उद्यम द्वारा रक्षा मंत्रालय को सप्लाई की जाने वाली किसी मद पर उसकी कीमत के अनुसार 10% की सहायता दी जाती है लेकिन इसकी केवल पांच वर्ष के लिए अधिकतम सीमा 50,000/– रुपए प्रति वर्ष होगी।

Centre for wetlands and coastal ecosystem

970. SHRI TALARI MANOHAR: Will the MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up a Centre for wetlands and coastal ecosystem, at the Institute for Coastal and Offshore Research (INCOR) Visakhapatnam, Andhra Pradesh; and

(b) if so, what are the details of the proposal and the amount earmarked for that purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) Government have no such proposal.

(b) Does not arise.

Weightage to ad-hoc service in fixing seniority of officers

971. SHRI N. RAJANGAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that great injustice is done to *ad-hoc* employees of the Central Government who after putting in about five-six years of *ad-hoc* service, are later regularised after qualifying the specified examination;

(b) if so, whether Government propose to give due weightage to the *ad-hoc* period of service for the purpose of seniority and pay fixation; and

(c) what steps are being taken to remove this anomaly and give these employees their due share?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) Special qualifying Examinations have been held in the past for *ad hoc* LACs/Stenographers to give them an opportunity to get themselves appointed on regular basis. This is in itself a concession to such employees, as recruitment to posts of LDC/Stenographer is made through open Competitive Examinations held by the Staff Selection Commission. Inasmuch as the seniority of those recruited through the open competitive examinations is regulated with reference to their positions in the merit list of the Examinations in which they appeared and qualified, there is no anomaly in regulating the seniority of *ad hoc* LDCs/Stenographers, on their appointment on regular basis with reference to the Special Qualifying Examinations in which they appeared and qualified. However, *ad-hoc* LDCs/Stenographers, on their appointment on regular basis after passing the Special Qualifying Examination, are given